	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/10/23	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 7/12/23 को पेश हो।	
7/12/23	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 1/2/24 को पेश हो।	
1/2/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/3/2024 को पेश हो।	
14/3/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 09/05/2024 को पेश हो।	
9/5/24	पत्रावली पेश। वकील वादीगण उप. है। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 23/05/2024 को पेश हो।	
23/5/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। जिसकी जमाबन्दी / नक्शा ट्रेस प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया हुआ है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध बाद तामील के न्यायालय मे उपस्थित नही होने से	

PTO

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर और तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किये हुये है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्रदत्त नही होते है। प्रार्थीगण की चतुर्थसीमा मे अंकित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने से प्रार्थीगण को दौराने वाद विचारण अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में है। अत: अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि खाता सं० 18 ख०नं० 383/352 व ख०नं० 385/360 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9712 हैक्टेयर वाके ग्राम रोंका की झोंपड़िया, प०स० भवानीपुरा पर जबरन कब्जा नही करें, प्रार्थीगण के कब्जे में हस्तक्षेप नही करे व भूमि के उपयोग, उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सेरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (बून्दी)	